BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Misc Application ion disposed of cases No. 135 of 2024

IN

O.A. NO. 587 OF 2022

IN THE MATTER OF

Krishna Kumar Ram .... **Petitioner**

VS

State of Bihar & ors .... **Respondent**

INDEX

Sl no.	Annexure	Particulars	Page no.
1		**Action Taken Report on behalf of Respondent No. 01, Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board.**	01-07
2.	Annexure-1	A copy of the letter no. 789, dated 15.05.2023.	8-9
3.	Annexure-2	A copy of the letter no. 1366, dated 20.07.2023.	10-11
4.	Annexure-3	A copy of the letter no. 2262, dated 30.07.2023.	12
5.	Annexure-4	A copy of the letter no. 71A, dated 08.03.2025.	13-14

WELFARE STAMP ₹ 25 बिहार BIHAR पच्चीस रुपये Rs. Twenty Five BRECR0302250400007097 03 Apr 2025

NOTARY A. K. LAL Distt.-PATNA Reg. No. 18833 Exp.dt.-29.05.2027 GOVT OF BIHAR

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Misc Application ion disposed of cases No. 135 of 2024

IN

O.A. NO. 587 OF 2022

IN THE MATTER OF

Krishna Kumar Ram ……… **Petitioner**

VS

State of Bihar & ors ……. **Respondent**

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF MEMBER SECRETARY, BIHAR STATE POLLUTION CONTROL BOARD/RESPONDENT NO. 1.

I, Neeraj Narayan, aged about 40 years, Son of Late Narayan Sharma, Resident of C-41, Housing Colony, Kankarbagh, Near Tempo Stand, P.S.- Patrakar Nagar, Patna- 800020, do hereby solemnly affirm and State as follows:

1. That I am presently posted as Member Secretary in Bihar State Pollution Control Board, Patna. I am authorized to file the present action taken

NOTARY A. K. LAL Distt.-PATNA Reg. No. 18833 Exp.dt.-29.05.2027 GOVT OF BIHAR

report on behalf of Respondent no. 01. I am aware of the facts of the present case on the basis of the official records maintained at Bihar State Pollution Control Board, Patna, that I believe to be true. As such, I am competent to depose the present counter affidavit.

2. That the instant matter was registered on basis of the letter petition sent by One Sri Krishna Kumar Ram alleging therein that illegal sand mining is being carried out in the area of Samra Labheda Panchayat which is eco-sensitive zone of Balmiki Tiger Reserve.

3. That in light of the orders passed in the Original Application the joint committee inspected the area and submitted an action taken report before the Hon'ble Tribunal. The Hon'ble Tribunal after considering the report observed that the joint committee and the concerned respondents did not take any steps to identify the exact area within which illegal mining has been done, the quantity of sand illegally mined and have not taken any steps for imposition and realization of environmental compensation and reclamation/rejuvenation of the illegally mined area.

4. That in light of the above the joint committee inspected the site and the answering respondent submitted a report on 13.12.2022 through e-mail. In the inspection by the joint committee it was found that illegal sand mining was not being done at the site, however the villagers informed that about six months ago illegal sand mining was being done in the area.

NOTARY A. K. LAL Distt. PATNA Reg. No. 18833 Expd. 29.05.2027 GOVT. OF BIHAR

5. That further the DFO-cum-Deputy Director, Valmiki Tiger Reserve and the DFO, Bettiah, West Champaran, filed their response vide email dated 28.02.2023 and 06.03.2023 respectively, wherein they have stated that for prohibition of illegal sand mining work in Semralabedha, Panchayat, have written to competent authority, Mineral Development, Officer, West Champaran, to take strict action against the illegal sand mining. Further, a F.I.R was lodged by a forester against the violators which came to be registered as Piprasi P.S. Case No.51 of 2022.

6. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 17.03.2023 directed the District Magistrate and Superintendent of Police, West Champaran, Bihar to take all requisite steps including setting up of check posts, installation of CCTV cameras and use of drones for ensuring that no illegal mining takes place in the eco sensitive zone in question and to the Superintendent of Police, West Champaran, Bihar is directed to issue appropriate instruction for completion of investigation in the FIR already registered expeditiously and taking action against all involved. Further, the answering respondent (BSPCB) was directed to take appropriate proceeding against person alleged to have indulged in illegal mining for imposition and realization of environmental compensation and utilization thereof.

7. That pursuant to passing of the order dated 17.03.2023, the State Board vide its letter no. 789, dated 15.05.2023, requested the Superintendent of

NOTARY
A. K. LAL
Distt.-PATNA
Reg. No. 11883J
Expdt. 29.05.2027
GOVT. OF BIHAR

Police, West Champaran, to provide certain details in order to impose environmental compensation. The details sought were as follows: -

i. Type of vehicles seized;

ii. Registration number of vehicles;

iii. Name of owner of vehicle and complete address;

iv. Quantity of sand seized in Cft;

v. F.I.R. No.;

vi. Certified copy of the charge-sheet.

A copy of the letter no. 789, dated 15.05.2023 is annexed and marked as Annexure-1.

8. That upon not receiving any reply from the Superintendent of Police, West Champaran, the answering respondent again vide its letter no. 1366, dated 20.07.2023 requested the Superintendent of Police, West Champaran, to provide the details in order to levy and impose environmental compensation.

A copy of the letter no. 1366, dated 20.07.2023 is annexed and marked as Annexure-2.

9. That in light of the above letter, the Superintendent of Police, West Champaran, vide his letter no. 2262, dated 30.07.2023, provided the details as sought by the answering respondent and gave zero report and did not provide the details and quantum of the sand seized.

NOTARY
A. K. LAL
Distt.-PATNA
Reg. No.-18833
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT OF BIHAR

A copy of the letter no. 2262, dated 30.07.2023 is annexed and marked as Annexure-3.

10. That the State Board has recently received a report from the Superintendent of Police, Bagha at West Champrana, were a categorical statement has been made that in Piprasi P.S. Case no. 51 of 2022 no seizure has been made and in investigation the quantity of sand illegally mined had not been assessed and it has been stated that no seizure of any truck or sand has been made in the Piprasi P.S. Case. No. 51 of 2022.

A copy of the letter no. 71A dated 08.03.2025 is annexed and marked as Anneuxre-4.

11. That in the order dated 26.02.2021 passed in O.A. No. 360 of 2015 the Hon'ble NGT has directed to impose environmental compensation on Approach-2, i.e., Computing a Simplified NPV for ecological damages and for computing the environmental compensation the quantity of illegally mined sand is required to compute the *Net Present Value* (*NPV*). Therefore, in absence of details of the illegal sand mined or seizure made by the police officials the relevant data for assessment of Environmental Compensation as per the formula was not available and therefore Environmental Compensation could not be computed.

NOTARY A. K LAL Distt.-PATNA Reg No-18831 Exp.dt.-29.05.2027 GOVT OF BIHAR

12. That the action taken report could not be filed within 4 months from the passing of the order dated 17.03.2023 as the relevant data was not available with the answering respondent and the answering respondent was regularly pursuing the District Administration, West Champaran, to provide the details of the quantity of sand mined and the persons responsible for the same, however the said details was not provided in timely manner and therefore the action taken report could not be filed before the Hon'ble Tribunal.

13. That recently on 14.03.2025 the District Magistrate, West Champaran, carried the site inspection of the site and has found that barricading and check-post has been made; Solar power CCTV cameras has been installed and regular monitoring with the help of drones and regular patrolling is being done to ensure that illegal mining is not carried out in Samera Labedha. Further, on interaction with the local villagers it has also come to light that illegal mining in the area has stopped and no illegal mining is being done in the area.

14. That the answering respondent have highest regard for the order of the Hon'ble Tribunal and is duty bound to comply with the directions of the Hon'ble Tribunal.

15. That I have read the contents of the affidavit and have understood the same.

NOTARY
A. K LAL
Distt.-PATNA
Reg No-18831
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT OF BIHAR

Identify the Deponent signature/L.T.I. who has signed in my presence

Pa 03/4/2025
DEPONENT
(Neeraj Narayan)

VERIFICATION

Verified at Patna on 03rd day of April, 2025, that the averments made in the present affidavit are true and correct to the best of my knowledge and information derived from records of the matter and Annexures are true copy of the original, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Pa 03/04/2025
DEPONENT
(Neeraj Narayan)

NOTARY
A. K LAL
Distt.-PATNA
Reg No.-18831
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT OF BIHAR

3/4/25

(35) 295

ई–मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

BIHAR
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
परिवेश भवन, एन.एस.बी.–2, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र,
पो0– सदाकत आश्रम, पाटलिपुत्र, पटना–800010
ई–मेल– msbspcb-bih@gov.in बेवसाईट– http://bspcb.bihar.gov.in

पत्रांकः P/Legal01- 35/2022 पटना, दिनांकः

प्रेषक,

एस. चन्द्रशेखर, भा.व.से.
सदस्य–सचिव।

Most Urgent. Hon'ble NGT Matter

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
बगहा पुलिस जिला,
जिला– पश्चिम चम्पारण,
E-mail- sp-bettiah.bih@nic.in

विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली में दायर O.A. No.- 587/2022, Krishan Kumar Ram Vs. State of Bihar के मामले में दिनांक 17.03.2023 को पारित आदेश का अनुपालनार्थ।

प्रसंगः पश्चिम चम्पारण के बाल्मीकि टाईगर रिजर्व क्षेत्र के Eco Sensitive Zone के सामरा लभेडा पंचायत के क्षेत्र में अवैध बालू खनन।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली द्वारा **दिनांक 17.03.2023** को विषयांकित मामले की सुनवाई के उपरांत जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, (बिहार) एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को निर्देश के साथ मूल आवेदन का **निस्तारण** किया गया है।

ज्ञातव्य है कि विषयांकित मामले में माननीय अधिकरण द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को निर्देशित किया गया है कि प्रभावित क्षेत्र में पर्यावरण की बहाली के लिए पर्यावरणीय मुआवजे की वसुली और उपयोग के लिए, अवैघ खनन में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई किया जाय।

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ अवैध बालू उत्खनन से संबंधित उल्लंघनकर्ताओं के संबंध में निम्न सूचना पर्षद् को उपलब्ध कराया जाय, यथाः–

I. जप्त वाहन का प्रकार,
II. वाहन का पंजीकरण संख्या,
III. वाहन के मालिक का नाम एवं पूर्ण पता (पत्राचार करने हेतु आवश्यक है),
IV. जप्त बालू की मात्रा Cft में,
V. पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी की संख्या,

NOTARY A.K LAL Distt.-PATNA Reg No-1883J Exp.dt.-29.05.2027 GOVT OF BIHAR

VI. न्यायालय में दायर Chargesheet की अभिप्रमाणित प्रति।

माननीय अधिकरण द्वारा सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, बिहार को निर्देश दिया गया है कि **चार महीना** के भीतर एन0 जी0 टी0 के ई–मेल– judicial-ngt@gov.in पर Action Taken Report दाखिल किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहेंगे।

विश्वासभाजन
ह0/–
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव।

ज्ञापांकः 789. पटना, दिनांकः 15/5/23

प्रतिलिपिः 1. जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया (E-mail- dm-bettiah.bih@nic.in) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री एस0 एन0 ठाकुर, क्षेत्रीय पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निर्देश दिया जाता है कि विषयांकित मामलों के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक, बगहा पुलिस जिला, जिला– पश्चिम चम्पारण, से समन्वय स्थापित कर उल्लंधनकर्ताओं के संबंध में प्रासंगिक विवरणी प्राप्त करने हेतु अग्रतर कार्रवाई करना चाहेंगे। कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाय।

15/5/23
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव।

NOTARY
A. K LAL
Distt.-PATNA
Reg No-1883J
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT OF BIHAR

Annexure-2 10 42 297

ई–मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

BIHAR
परिवेश भवन, एन.एस.बी.–2, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र,
पो0– सदाकत आश्रम, पाटलिपुत्र, पटना–800010
ई–मेल– msbspcb-bih@gov.in बेवसाईट– http://bspcb.bihar.gov.in

पत्रांकः P/Legal01- 35/2022 पटना, दिनांकः

स्मार–पत्र

Most Urgent Hon'ble NGT Matter

प्रेषक,

एस. चन्द्रशेखर, भा.व.से.
सदस्य–सचिव।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
बगहा पुलिस जिला,
जिला– पश्चिम चम्पारण,
E-mail- sp-bettiah.bih@nic.in

विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली में दायर O.A. No.- 587/2022, Krishan Kumar Ram Vs. State of Bihar के मामले में दिनांक 17.03.2023 को पारित आदेश का अनुपालनार्थ।

प्रसंगः पश्चिम चम्पारण के बाल्मीकि टाईगर रिजर्व क्षेत्र के Eco Sensitive Zone के सामरा लभेडा पंचायत के क्षेत्र में अवैध बालू खनन एवं पर्षद् पत्रांकः 789, दिनांकः 15.05.2023

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में स्मारित करते हुए सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली द्वारा **दिनांक 17.03.2023** को विषयांकित मामले की सुनवाई के उपरांत जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, (बिहार) एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को निर्देश के साथ मूल आवेदन का **निस्तारण** किया गया है।

ज्ञातव्य है कि विषयांकित मामले में माननीय अधिकरण द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को निर्देशित किया गया है कि प्रभावित क्षेत्र में पर्यावरण की बहाली के लिए पर्यावरणीय मुआवजे की वसुली और उपयोग के लिए, अवैघ खनन में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई किया जाय।

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ अवैध बालू उत्खनन से संबंधित उल्लंघनकर्ताओं के संबंध में निम्न सूचना पर्षद् को **यथाशीघ्र** उपलब्ध कराया जाय, यथाः–

I. जप्त वाहन का प्रकार,
II. वाहन का पंजीकरण संख्या,
III. वाहन के मालिक का नाम एवं पूर्ण पता (पत्राचार करने हेतु आवश्यक है),
IV. जप्त बालू की मात्रा Cft में,

NOTARY A. K. LAL Distt.-PATNA Reg No-18833 Exp.dt.-29.05.2027 GOVT OF BIHAR

(41)

V. पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी की संख्या,

VI. न्यायालय में दायर Chargesheet की अभिप्रमाणित प्रति।

माननीय अधिकरण द्वारा सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, बिहार को निर्देश दिया गया है कि **चार महीना** के भीतर एन0 जी0 टी0 के ई–मेल– judicial-ngt@gov.in पर Action Taken Report दाखिल किया जाय। अवैध बालू उत्खनन से संबंधित उलंघनकर्ताओं के संबंध में जप्त वाहन से संबंधित सूचना प्राप्त न होने पर पर्षद द्वारा उक्त आशय का प्रतिशपथ पत्र माननीय अधिकरण में दायर कर दिया जायेगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहेंगे।

विश्वासभाजन
ह0/–
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव।

ज्ञापांकः 1366 पटना, दिनांकः 20/7/23

प्रतिलिपिः 1. जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया (E-mail- dm-bettiah.bih@nic.in) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री एस0 एन0 ठाकुर, क्षेत्रीय पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को स्मारित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि विषयांकित मामलों के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक, बगहा पुलिस जिला, जिला– पश्चिम चम्पारण, से समन्वय स्थापित कर उल्लंघनकर्ताओं के संबंध में प्रासंगिक विवरणी प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को पत्र निर्गत के एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसे अति आवश्यक समझा जाय।

20/7/23
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव।

NOTARY
A. K LAL
Distt.-PATNA
Reg No-1883J
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT OF BIHAR

D:\Hindi Letter\BSPCB\NGT\Krishan Kumar Ram - Copy (2) - Copy.docx
PC-45

Annexure-3 पत्रांक 2262 12 /भी0ओ0, 299

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय पश्चिम चम्पारण, बगहा।

Legal section (49) Hon'ble NGT order 28/8/23 put up urgent

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
बगहा।

सेवा में,

सदस्य–सचिव,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्,
परिवेश भवन,एन0एस0बी0–2,पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र,
पो0–सदाकत आश्रम,पाटलिपुत्र,पटना–800010

बगहा, दिनांक– 30/7/23

प्रसंगः– भवदीय ज्ञापांक–1366 दिनांक–20.07.2023

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान बेंच दिल्ली में दायर **O.A No.587/2022,Krishana kumar ramVs.state of Bihar** के मामले में दिनांक–17.03.23 को पारित आदेश अनुपालनार्थ के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है की भवदीय द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ अवैघ बालू उतखनन से संबंधित वाछित प्रतिवेदन की मांग की गई है जो पश्चिम चमपारण के वाल्मीकिनगर क्षेत्र के Eco sensitive Zone के सेमरा लबदहा पंचायत के क्षेत्र में अवैध बालू खनन (पिपरासी थाना कांड सं0–51/22) से संबधित है, जिसका विन्दूवार प्रतिवेदन निम्नवत् है।

क्रमांक	विन्दु	अनुपालन प्रतिवेदन
01	जप्त वाहन का प्रकार,	शून्य।
02	वाहन का पंजीकरण संख्या,	शून्य।
03	वाहन का मालिक का नाम एवं पता,	शून्य।
04	जप्त बालू की मात्रा Cft में,	शून्य।
05	पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी की संख्या,	पिपरासी थाना कांड सं0–51/22 दिनांक–22.06.22 धारा–धारा–379/34 भा0द0वि0 एवं BM (CPIMTS) Rules 2019 (amedment rule 2021) U/S- 56, 11,41& Mm (D&R) Act 1957 U/S-4,21 & Environment protection Act 1986 U/s-15
06	न्यायालय में दायर chargesheet की अभिप्रमाणित प्रति।	आरोप प्रत्र सं0–82/22 दि0–23.11.22 धारा–379/34 भा0द0वि0 एवं BM (CPIMTS) Rules 2019 (amedment rule 2021) U/S- 56, 11,41& Mm (D&R) Act 1957 U/S-4,21 & Environment protection Act 1986 U/s-15

सादर सूचनार्थ।

अनुलग्नकः–प्राथमिकी/अंतिम प्रपत्र की छाया प्रति।

विश्वासभाजन,

30.7.

पुलिस अधीक्षक,
बगहा।

NOTARY AK LAL PATNA Distt. Patna Reg No -18833 Exp.dt.-29.05.2027 GOVT OF BIHAR

प्रतिलिपि– 01. जिला पदाधिकारी प0 चम्पारण, बेतिया को सादर सूचनार्थ।

30.7.

पुलिस अधीक्षक,
बगहा।

पत्रांक 71(A) / विधि शाखा,
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, प0 चम्पारण, बगहा, दिनांक– 08.3.2025

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
बगहा।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

प्रसंग :– जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया कार्यालय का पत्रांक–609 / गो0, दिनांक–21 .02.2025

विषय :– **MA No-135/2024 In OA No-587/2022 Krishan kumar ram &Ors. Vs. State of Bihar में राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण के आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में कहना हैं, कि MA No-135/2024 In OA No-587/2022 Krishan kumar ram &Ors. Vs. State of Bihar में राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण के आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन में अवैध बालू / मिट्टी खनन रोकने के लिए पुलिस के स्तर से कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गयी है, जो पुलिस जिला बगहा से निम्न प्रकार हैं :–

1. MA No-135/2024 IN OA NO-587/2022 पारा स0–11 कंडिका 01 के अनुपालन के संबंध में कहना है, कि जिला पदाधिकारी बेतिया के आदेशानुसार थाना स्तर से वर्णित स्थल (सेमरा, लबदेहा पंचायत अर्न्तगत) पर अवैध खनन रोकने के लिए 24 घण्टे पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी हैं।

   उरोक्त वर्णित स्थल पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए चेकपोस्ट बनाते हुए बैरिकेटिंग की भी व्यवस्था की गयी हैं। साथ ही साथ सी0सी0टी0भी0 से भी उपरोक्त वर्णित स्थल पर जाने वाले रास्ते की निगरानी की जा रही हैं। (बैरिकेटिंग / सी0सी0टी0भी0 कैमरा एवं चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त बल का फोटो साथ संलग्न हैं।)

2. MA No-135/2024 IN OA NO-587/2022 पारा स0–11 कंडिका 3 के अनुपालन के संबंध में कहना है, कि पिपरासी थाना कांड स0–51 / 22 दिनांक–22.06.2022 में कांड के चार नामजद प्राथमिकी अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र स0–82 / 22 दिनांक–23.11.2022 धारा–379 / 34 भा0द0वि0 एवं 8BM(Cpimts) rules 2019 (amendments rules 2021) धारा–56 / 11 / 41 & M.M (D&R) Act 1957 धारा–4 / 21 & Environment protection act 1986 धारा–15 के अन्तर्गत समर्पित करते हुए अनुसंधान बन्द किया जा चुका हैं।

OA NO-360/2015 राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण द्वारा दिनांक–26.02.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में कहना है, कि कांड में आरोप पत्रित अभियुक्त के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गयी हैं। उपरोक्त कांड में किसी भी प्रकार का वाहन और अवैध खनित बालू की बरामदगी / जप्ती नही हुई थी। अतः शमन राशि (खनन एवं परिवहन) की

वसुली नही की जा सकी। इसी कारण अवैध रूप से खनन किये गये बालु की मात्रा बताना संभव नही हैं। अभियुक्तो के विरूद्ध निगरानी रखी जा रही है। वर्णित स्थल पर वर्तमान में किसी भी प्रकार का अवैध खनन का मामला प्रकाश में नही आया है।

अतः सादर सूचनार्थ।

पुलिस अधीक्षक,
बगहा।